

मुकदमों का विवरण

हरियाणा राज्य बनाम

धरमराज

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 2635) 29 अगस्त, 2023

[अहसानउद्दीन अमानुल्लाह और एस. वी. एन. भाटी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:तत्काल अपील में, राज्य उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एकमात्र प्रत्यर्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-धारा 438-गिरफ्तारी पूर्व जमानत-एफ. आई. आर. यू/एस. एस.147, 148, 149, 323, 325, 341, 342 और 427** भारतीय दण्ड संहिता सी. यू/एस. एस. के तहत अतिरिक्त आरोपों के साथ **186, 353** और प्रत्यर्थी के खिलाफ **364-उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत देना-रद्द करना:**

आयोजित किया गया:जमानत की तरह, अग्रिम जमानत की मंजूरी का उपयोग न्यायिक विवेक के साथ किया जाना है-प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और गुणों पर बदल जाता है-तथ्यों पर, प्रतिवादी का आवेदन यू/एस।438 इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक भगोड़ा भगोड़ा था-प्रत्यर्थी को भगोड़ा घोषित किए बिना, अग्रिम जमानत की मांग करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था-इसके अलावा, उच्च न्यायालय के लिए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं था-विवादित आदेश की तारीख पर मौजूद भगोड़ा भगोड़ा की घोषणा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी 'सुधार और पाठ्यक्रम सही' का हकदार था-हालांकि एक असाधारण और दुर्लभ मामले में, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकते हैं, भले ही आवेदक को भगोड़ा घोषित किया गया हो, हालांकि, तत्काल मामले में कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न नहीं होती है-प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत देने वाला विवादित आदेश खारिज कर दिया गया।[पैरा 12,16 और 17]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एससीसी 598:[2002] 2 एस. सी. आर. 526; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (2004) 7 एस. सी. सी. 528; प्रशांत 706

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी (2010) 14 एस. सी. सी. 496:[2010] 12 एस. सी. आर. 1165; महिपाल बनाम राजेश कुमार उपनाम पोलिया (2020) 2 एस. सी. सी. 118:[2019] 14 एससीआर 529;

भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @दीपू @डेपाक 2023 आई. एन. एस. सी. 761:2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1059; दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एस. सी. सी. 349:[1994] 6 पूरकाएस. सी. आर. 69; कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह (1996) 4 एस. सी. सी. 693; एक्स बनाम राज्य

तेलंगाना (2018) 16 एस. सी. सी. 511:[2018] 4 एससीआर 466; XXX बनाम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2023 आईएनएससी 767:2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1062;

गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 565:[1980] 3 एससीआर 383; सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2020) 5 एस. सी. सी. 1:[2020] 2 एस. सी. आर. 1; सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 694:[2010] 15 एस. सी. आर. 201; विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य (2021) 15 एस. सी. सी. 518;

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एस. सी. सी. 273:[2014] 8 एससीआर 128; मो। असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य 2023 आई. एन. एस. सी. 660 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 892; लवेश बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2012) 8 एस. सी. सी. 730:[2012] 7 एससीआर 469; मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 एससीसी 171:[2013] 12 एससीआर 772;

प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 955; अभिषेक

v. महाराष्ट्र राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 282-निर्दिष्ट।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2635।2021 के सी. आर. एम.-एम. संख्या 49115 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 03.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डॉ. हेमंत गुप्ता, ए. ए. जी., समर विजय सिंह, सुश्री मोनिका आनंद कुमार, सुश्री पायल गुप्ता, शिवांग जैन, केशव मित्तल, सुश्री सबर्नी सोम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे।

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।2. छुट्टी दे दी गई।

3. हरियाणा राज्य के नेतृत्व में वर्तमान अपील में हरियाणा राज्य बनाम धरमराज के आदेश के माध्यम से एकमात्र प्रत्यर्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई है।

707

(चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीआरएम-एम No.49115/2021 में पारित) जिसे इसके बाद "विवादित आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है।प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 147,148,149,323,325,341,342 और 427 के तहत दर्ज पुलिस स्टेशन बादशाहपुर, गुरुग्राम में प्रथम सूचना रिपोर्ट No.0239 दिनांक 31.07.2020 में आरोपी है।बाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186,353 और 364 को भी शामिल किया गया।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आरोपों की प्रकृति और एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ प्रत्यर्थी को आपराधिक अग्रिम जमानत संहिता की धारा 438 2 के तहत भगोड़ा घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में,

1 82.फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा।— (1) यदि किसी न्यायालय के पास विश्वास करने का कारण है

(चाहे साक्ष्य लेने के बाद हो या न हो) कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है ताकि ऐसा वारंट निष्पादित नहीं किया जा सके, ऐसा न्यायालय एक लिखित घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और ऐसी घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से कम से कम तीस दिनों के विशिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

(2) घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी:—

((क) इसे सार्वजनिक रूप से उस शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर पढ़ा जाएगा जहाँ ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।

(ख) यह उस घर या घर के किसी विशिष्ट भाग में लगाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है या ऐसे शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर लगाया जाएगा।

((ग) उसकी एक प्रति न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग में चिपकाई जाएगी।

((ख) न्यायालय, यदि वह ऐसा समझता है, तो घोषणा की एक प्रति को उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश भी दे सकता है जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।(3) न्यायालय द्वारा अधिनियम को यह उद्घोषणा जारी करते हुए लिखित बयान कि उद्घोषणा किसी विनिर्दिष्ट दिन, उप-धारा (2) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट तरीके से विधिवत प्रकाशित की गई थी, निर्णायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का पालन किया गया है और यह कि उद्घोषणा ऐसे दिन प्रकाशित की गई थी।

(4) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा कि वह समझता है, उसे घोषित कर सकता है और उस आशय की घोषणा कर सकता है।

(5) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधान अदालत द्वारा उप-धारा (4) के तहत की गई घोषणा पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित घोषणा पर लागू होते हैं।

2 438. गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश।— (1) जहाँ किसी प्रति-पुत्र के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस धारा के तहत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

जो व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करता है।

और यह कि न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद, अर्थात्:—

(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; प्रक्रिया, 1973 (इसके बाद "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित) गलत और गलत थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और आगे, इसी आदेश के आधार पर, अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं -

((ख) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि ठहराए जाने पर पहले कारावास से गुजरा है; (ग) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; और

((iv) जहाँ आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार करके घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है, तो या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दें या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी करें।

बशर्ते कि, जहाँ उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उप-धारा के तहत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है, तो ऐसे आवेदन में पकड़े गए आरोप के आधार पर आवेदक को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन के आधिकारिक प्रभारी के लिए खुला रहेगा।

(1-क) जहाँ न्यायालय उप-धारा (1) के तहत अंतरिम आदेश देता है, वह तुरंत लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को ऐसे आदेश की एक प्रति के साथ कम से कम सात दिन का नोटिस देगा, ताकि लोक अभियोजक को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जा सके जब आवेदन की अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी।

(1-ख) अग्रिम जमानत मांगने वाले आवेदक की उपस्थिति आवेदन की अंतिम सुनवाई और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय अनिवार्य होगी, यदि लोक अभियोजक द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, न्यायालय न्याय के हित में ऐसी उपस्थिति को आवश्यक समझता है।

(2) जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप-धारा (1) के तहत कोई निर्देश देता है, तो वह विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल कर सकता है, जिनके बारे में वह सोच सकता है, जिनमें शामिल हैं:

(i) एक शर्त कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;

((ख) एक शर्त कि व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

((ग) एक शर्त कि व्यक्ति अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

((iv) ऐसी अन्य शर्त जो धारा 437 की उप-धारा (3) के तहत लगाई जा सकती है, जैसे कि उस धारा के तहत जमानत दी गई हो।

(3) यदि ऐसे व्यक्ति को बाद में ऐसे आरोप पर किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; और यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ पहली बार में वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उप-धारा (1) के तहत अदालत के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा।

(4) इस धारा में कुछ भी हरियाणा राज्य बनाम धरमराज के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा।

709

[अहसनुद्दीन अमानुल्लाह, जे।]

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि अनुसंधान एजेंसी ने प्रत्यर्थी को अनावश्यक रूप से परेशान करने और फंसाने की कोशिश की है जो अनुसंधान के दौरान रिकॉर्ड में किए गए विभिन्न हेरफेरों से स्पष्ट होगा। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य प्रत्यर्थी को केवल इस आधार पर अपराधी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह एक आरोपी के साथ समान नाम साझा करता है। 6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी वह व्यक्ति है जिसकी विधिवत पहचान की गई है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अनुसंधान एजेंसी के अनुसार सही पाए गए हैं। 7. एक प्रयास, हालांकि संक्षिप्त, प्रासंगिक उदाहरणों में आवश्यक है। इस अदालत ने राम गोविंद उपाध्याय को जमानत देने में मदद करने वाले कारकों पर विचार किया

बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एस. सी. सी. 598 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (2004) 7 एस. सी. सी. 528। प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी में,

(2010) 14 एस. सी. सी. 496, प्रासंगिक सिद्धांतों को इस प्रकार दोहराया गया:

‘9..... यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैं:

((i) क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ख) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

((ग) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

((iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा; (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति;

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 या धारा 376-एबी या धारा 376-डीए या धारा 376-डीबी की उप-धारा (3) के तहत अपराध करने के आरोप पर।

710 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

((vi) ऑफ-एनस के दोहराये जाने की संभावना;

((viii) गवाहों को आरोपित किए जाने की उचित आशंका; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत प्रदान करके न्याय को विफल किए जाने का खतरा।’8. महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया, (2020) 2 एस. सी. सी. 118 में, यह

न्यायालय ने निम्नलिखित राय दी:

‘16. जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलिय अदालत की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन के मूल्यांकन से अलग आधार पर खड़े होते हैं। जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या जमानत देने में विवेक का अनुचित या मनमाना प्रयोग किया गया था। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अन्यायपूर्ण है। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन की जांच आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे जमानत दी गई है, पर्यवेक्षी परिस्थितियों के अस्तित्व या जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर की जाती है।...’

9. भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @दीपू @डेपाक, 2023 आई. एन. एस. सी.

761 3 , इस न्यायालय ने दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एस. सी. सी. 349; कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह, (1996) 4 एस. सी. सी. 693 और एक्स बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 16 एस. सी. सी. 511 को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

‘13.यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब जमानत की मंजूरी को रद्द करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो ठोस और भारी परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए और एक बार जमानत दिए जाने के बाद इसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता है, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या किसी पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने इसे निष्पक्ष सुनवाई की अनुमति देने के लिए संचालित किया है। यह प्रस्ताव दोलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एस. सी. सी. 349, कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह (1996) 4 एस. सी. सी. 693 और XXX बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 16 एस. सी. सी. 511 में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त करता है।’

3 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1059।

हरियाणा राज्य बनाम धरमराज [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 712

711

10. XXX बनाम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 2023

आई. एन. एस. सी. 767 4, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्रशांत कुमार सरकार के सिद्धांत

(उपर्युक्त) को जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा, (2022) 9 एस. सी. सी. 321 में दोहराया गया।

11. अग्रिम जमानत की रूपरेखा को गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम राज्य मामले में 5-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा विस्तृत रूप से निपटाया गया है।

पंजाब का, (1980) 2 एस. सी. सी. 565 और सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2020) 5 एस. सी. सी. 1. सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम राज्य

महाराष्ट्र का (2011) 1 एस. सी. सी. 694 इस संदर्भ में उल्लेख के योग्य है, यद्यपि सुशीला अग्रवाल (ऊपर) में इसके आंशिक अधिमूल्यांकन के बावजूद हम जानते हैं कि स्वतंत्रता में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक, जब उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का आदेश पहले ही दिया जा चुका हो। 12. फिर भी, जमानत की तरह, अग्रिम जमानत की मंजूरी का उपयोग न्यायिक विवेक के साथ किया जाना है। इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से दर्शाए गए कारक उदाहरणात्मक हैं, और संपूर्ण नहीं हैं। निस्संदेह, प्रत्येक मामले का भाग्य अपने तथ्यों और गुणों पर बदल जाता है। विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य, (2021) 15 एस. सी. सी. 518 में, अदालत ने दोलत राम

(ऊपर) और एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (ऊपर) पर ध्यान देते हुए, आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रेजेंटी में दिए गए तथ्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।

13. मामले पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के लिए प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं था।

14. जैसा कि विवादित आदेश से स्पष्ट होगा, उसका तर्क पैराग्राफ 7-12 में निहित है। निकट अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के साथ क्या वजन था:

(क) कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक नहीं थी।

(ख) कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुसंधान में हस्तक्षेप करने, साक्ष्य आदि के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना पर कड़ी शर्तें लगाकर ध्यान दिया जा सकता है।

4 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1062।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

(ग) कि प्रत्यर्थी की घोषित घोषित करने वाले के रूप में घोषणा उसके जानबूझकर अदालत से बचने के कारण नहीं थी।

(घ) कि प्रत्यर्थी पहली बार अवकाश पर था और 'सुधार और पाठ्यक्रम सुधार' के अवसर का हकदार था।

15. उच्च न्यायालय का तर्क हमारी सराहना नहीं करता है। द.

उच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एस. सी. सी. पर निर्भरता रखी

273 प्रभाव यह है कि जहां अपराध सात वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है या जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है, चाहे वह अपराध के साथ हो या उसके बिना, कोई स्वतः

गिरफ्तारी नहीं होगी। उक्त निर्णय को देखने के साथ-साथ इसकी सबसे हाल की पुनरावृत्ति भी में एम. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य, 2023 आई. एन. एस. सी. 660 5, हम पूर्ण रूप से हैं।

उसमें प्रतिपादित प्रस्तावों के साथ समझौता। हालाँकि, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 364 में आजीवन कारावास या दस साल के कठोर कारावास की अवधि होती है। हम इस बात को लेकर थोड़ा उलझन में हैं कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 364 को जोड़ने के

बावजूद, उच्च न्यायालय ने यह विचार कैसे लिया कि अर्नेश कुमार (उपरोक्त) प्रत्यर्थी को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की उसकी खोज में सहायता करेगा।

16. उच्च न्यायालय (भी) जिस बात पर ध्यान नहीं दे पाया वह यह थी कि प्रत्यर्थी को घोषित घोषित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय पैराग्राफ 28 में नोट करता है कि वह उद्धोषणा कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें उसके समक्ष याचिका का हिस्सा नहीं बनाया गया था। जैसा कि चीजें थीं, प्रत्यर्थी को 05.02.2021 पर भगोड़ा घोषित किया गया था, और केवल अक्टूबर, 2021 में उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी गई थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए यह सही नहीं था कि वह केवल कथनों के आधार पर इस तरह के तथ्य को दरकिनार कर दे, जिसका उद्देश्य इस तरह की घोषणा की पृष्ठभूमि को केवल एक समान ध्वनि वाले नाम के विज्ञापन द्वारा समझाना था, जैसा कि विवादित आदेश के पैराग्राफ 9 और 10 में दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी की घोषित समाप्ति के रूप में घोषणा, और विवादित आदेश की तारीख पर मौजूद ऐसी घोषणा, हम उच्च न्यायालय से सहमत होने में असमर्थ हैं कि प्रत्यर्थी का अधिकार था 'सुधार और सही मार्ग'।

5 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 892।

हरियाणा राज्य बनाम धरमराज [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 714

713

16. प्रत्यर्थी, पहले उसे भगोड़ा घोषित करने के आदेश को सफलतापूर्वक लागू किए बिना, अग्रिम जमानत लेने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। तथ्यात्मक चश्मे को देखते हुए, हम स्पष्ट हैं कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक भगोड़ा घोषित किया गया था। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि लवेश बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2012) 8 एस. सी. सी. 730 में, यह न्यायालय भगोड़े अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ था। उसी सुर में,

लवेश (ऊपर) के बाद मध्य प्रदेश राज्य बनाम

प्रदीप शर्मा, (2014) 2 एस. सी. सी. 171, जहाँ इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक भगोड़ा अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होगा। बेशक, एक असाधारण और दुर्लभ मामले में, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकते हैं, इसके बावजूद कि आवेदक एक भगोड़ा घोषित किया गया है, यह देखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं। हालाँकि, इस मामले में कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

प्रदीप शर्मा (ऊपर) के बाद, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम राज्य

बिहार, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 955, यह न्यायालय स्पष्ट था कि उच्च न्यायालय ने इसके तहत कार्यवाही की अनदेखी करते हुए अग्रिम जमानत देने में गलती की। धारा 82 और 83, दंड प्रक्रिया संहिता। अभिषेक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2022) 8 एस. सी. सी. 282, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

‘68. जहाँ तक अपीलार्थी के खिलाफ घोषणा जारी किए जाने के निहितार्थ का संबंध है, हमें यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे "भगोड़ा" घोषित किया गया है और वह जांच एजेंसी की पहुंच से बाहर रहता है और इस तरह सीधे कानून के साथ टकराव में रहता है, आमतौर पर कोई रियायत या अनुग्रह का हकदार नहीं है। संदर्भ के माध्यम से, हम यह देख सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के संदर्भ में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के संबंध में, इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जब कोई आरोपी फरार है और उसे घोषित किया जाता है कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लाभ देने का कोई सवाल ही नहीं है। [उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2022) 14 एससीसी 529:2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 955]।

17. तदनुसार, ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत देने वाले विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी चार दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आज से कुछ सप्ताह बाद नियमित जमानत ली जा सकती है जिस पर वर्तमान फैसले से पूर्वाग्रहित हुए बिना अपने गुण-दोष पर विचार किया जाएगा।

18. अपील की उपरोक्त शर्तों में अनुमति है। लंबित आवेदनों को अभिलेखों में भेज दिया जाता है। जहाँ तक राज्य का निवेदन है कि विवादित आदेश सह-अभियुक्त के लिए अग्रिम जमानत प्राप्त करने का आधार है, यह राज्य पर है कि वह उस ओर से कानून के अनुसार कदम उठाए, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन